भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम

[` करोड़]

विवरण	30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही	30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला लेखांकन वर्ष
	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**2175**	**2702**	**10221**
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	1837	2562	9055
(ख) निवेशों पर आय	115	24	680
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	223	116	486
(घ) अन्य	-	-	-
2. अन्य आय	55	75	427
3. कुल आय (1+2)	**2230**	**2777**	**10648**
4. ब्याज व्यय	1508	1842	6543
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**113**	**124**	**560**
(i) कर्मचारी लागत	88	90	388
(ii) अन्य परिचालन व्यय	25	34	172
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	**1621**	**1966**	**7103**
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	**609**	**811**	**3545**
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात निवल]	(22)	142	915
9. असाधारण मदें	-	518	518
10 सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	**631**	**1187**	**3148**
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात निवल]	141	283	750
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	**490**	**904**	**2398**
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (–) (12-13)	**490**	**904**	**2398**
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ` 10 प्रति शेयर)	532	532	532
16. आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	20952	19079	20462
17. विश्लेषणात्मक अनुपात			
(i) पूँजी पर्याप्तता अनुपात	30.93%	27.65%	27.49%
(ii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)	9.21	17.00	45.09
18) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात			

क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	343.33	1026.89	282.31
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	217.89	457.58	185.25
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.26	0.67	0.18
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.17	0.30	0.12
च) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत)	1.08%	2.02%	1.33%

<u>टिप्पणियाँ</u> :

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
2) निदेशक मंडल द्वारा 07 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।
3) 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान, जहाँ भी अपेक्षित हैं, अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन हैं।
4) भारत में अनुभव की गई "दूसरी लहर" सहित कोविड-19 महामारी, बैंक के संचालन और परिसंपत्ति की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा जो अत्यधिक अनिश्चित हैं।
5) कोविड-19 के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संविभाग के कुछ खंडों पर, जिन्हें बैंक के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना गया था, `181 करोड़ के अतिरिक्त मानक संपत्ति प्रावधान किए हैं।
6) 'कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं के लिए इससमाधान योजना को निम्नानुसार लागू किया है:

(` करोड़ में खातों की संख्या को छोडकर)

उधारकर्ता का प्रकार	(ए) ऐसे खातों की संख्या जिनमें इस व्यवस्था के अंतर्गत समाधान योजना क्रियान्वित की गई	(बी) योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व (ए) में वर्णित खातों की जोखिम राशि	(सी) (बी) में से अन्य प्रतिभूतियों में अंतरित किए गए ऋण की राशि	(डी) योजना को आहूत करने और उसे क्रियान्वित करने के दौरान मंजूर की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो	(ई) समाधान योजना के क्रियान्वयन के कारण प्रावधान राशि में हुई वृद्धि
वैयक्तिक ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति	2 उधारकर्ता (9 खाते)	28.63	0.00	1.26*	5.73
इनमें से एमएसएमई	2 उधारकर्ता (9 खाते)	28.63	0.00	1.26*	5.73
अन्य	---	---	---	---	---
कुल	**2 उधारकर्ता (9 खाते)**	**28.63**	**0.00**	**1.26***	**5.73**

* एक उधारकर्ता के संबंध में वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण

7) समाधान ढांचा - 2.0 के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 05 मई, 2021 के परिपत्र के अनुसार उन उधारकर्ताओं खातों की संख्या जिनमें समाधान योजना क्रियान्वित की गई है: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों में कोविड-19 से संबन्धित दबाव के समाधान की संख्या शून्य है।

8) एक उधारकर्ता, जो अन्यथा एनपीए बन गया होता किन्तु माननीय एनसीएलटी के आदेश के अनुसार उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया और बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में 'मानक आस्ति प्रावधान' के तहत `931.23 करोड़ के पूरे बकाया पर `325.93 करोड़ का प्रावधान किया है तथा अप्राप्त ब्याज आय को भी संज्ञान में नहीं लिया है।

9) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।

10) निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति : यथा 01 अप्रैल, 2021 को कोई शिकायत लंबित नहीं थी। तिमाही के दौरान, निवेशकों से 2 शिकायतें प्राप्त हुई और 2 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। तदनुसार, यथा 30 जून, 2021 को कोई शिकायत निस्तारण के लिए लंबित नहीं है।

11) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

12) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

13) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह /-

दिनांक : 07 अगस्त, 2021 **[सिवसुब्रमणियन रमण]**

स्थान : नई दिल्ली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

- SIDBIOfficial कृपया हमारी वेबसाइट : **www.sidbi.in** देखें। @sidbiofficial